दिनांक 03.02.2026
प्रेस विज्ञप्ति 07/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS) के सहयोग से पुलिस कर्मियों के लिए कौशल आधारित क्षमता निर्माण हेतु तीन दिवसीय ''सक्षम पुलिसिंग'' प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

- **प्रशिक्षण ही व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की नींव है।**
- **ज्ञान से अधिक दृष्टिकोण (Attitude) सफलता तय करता है।**
- **प्रभावी संचार (Communication) पुलिस की छवि बनाता है।**
- **सीखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है।**
- **प्रत्येक अधिकारी यूपी पुलिस का प्रतिनिधि (Ambassador) है।**
- **यह प्रशिक्षण संगठन और व्यक्तिगत जीवन दोनों को बेहतर बनाएगा।**

(पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0)

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवहारिक, सामाजिक एवं तकनीकी दक्षताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS) के सहयोग से पुलिस मुख्यालय में **तीन दिवसीय पायलट प्रोजेक्ट** का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ के माननीय कुलपति **प्रो. बद्री नारायण तिवारी**, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के महानिदेशक **श्री राजीव सभरवाल**, अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) **श्री बी. डी. पॉलसन**, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) **श्री चन्द्र प्रकाश** उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुये कहा गया कि–

प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की आधारशिला होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं और सुरक्षा बलों की सफलता का मूल कारण उनकी सतत एवं गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पुलिस बल में प्रशिक्षण को और अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वे 4 लाख की विशाल उत्तर प्रदेश पुलिस बल में से चुने गए 40 अधिकारी हैं, जो अपने आप में एक गौरवपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपेक्षा की कि वे इन तीन दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण मनोयोग, सकारात्मक दृष्टिकोण और खुले मन से भाग लें, न कि इसे मात्र औपचारिकता समझें।

पुलिस महानिदेशक ने रेखांकित किया कि ज्ञान और कौशल के साथ–साथ **दृष्टिकोण (Attitude)** और **व्यवहार (Behaviour)** अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही किसी अधिकारी की वास्तविक सफलता तय करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिसिंग में **संचार (Communication)**–मौखिक और गैर–मौखिक–दोनों का विशेष महत्व है, क्योंकि जनता के साथ संवाद और व्यवहार ही पुलिस की छवि बनाते हैं।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा बताया कि हाल ही में **महाकुम्भ एवं माघ मेला** जैसे बड़े आयोजनों में उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्कृष्ट व्यवहार की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है, जो बेहतर प्रशिक्षण का परिणाम है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंत में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रशिक्षण न केवल पूरे संगठन के लिए बल्कि प्रतिभागी अधिकारियों के व्यक्तिगत जीवन के लिए भी सकारात्मक और रचनात्मक प्रभाव डालेगा।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के **कुलपति प्रो. बद्री नारायण तिवारी** ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस–दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है–को मानवीय संवेदनशीलता से जोड़ने की दिशा में प्रशिक्षण प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

भारत में पुलिसिंग अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपको अनेक सामाजिक दबावों और परिस्थितियों के बीच काम करना पड़ता है। इसलिए आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा प्रयास है कि हम अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से आपको एक अधिक संवेदनशील, प्रभावी और मानवीय पुलिस सेवा के रूप में विकसित होने में सहयोग दें।

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 के महानिदेशक **श्री राजीव सभरवाल,** द्वारा कार्यशाला को संबोधित करते हुये कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को व्यवहार संवाद शैली और आधुनिक तकनीकी माध्यमों से जुड़ी चुनौतियों के सापेक्ष अधिक दक्ष एवं संतुलित अप्रोच हेतु सक्षम बनाना है। उल्लेखनीय है कि इन विषयों को पहले ही आरक्षी, उपनिरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के आधार भूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा चुका है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

यह एक संरचित, कौथल–आधारित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों की व्यवहारिक दक्षता, परिचालन सॉफ्ट स्किल्स तथा वास्तविक जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ करना है। यह कार्यक्रम अधिकारियों को उच्च दबाव, जन–संपर्क तथा डिजिटल वातावरण में पेशेवर, संवेदनशील और कानूनी रूप से सही प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम बनाता है। इस मॉडल में अनुभवात्मक एवं गतिविधि–आधारित शिक्षण पद्धति अपनाई गई है, जिसमें केस–आधारित चर्चाएँ और रोल प्ले शामिल हैं, ताकि व्यावहारिक अनुप्रयोग, कौशल एकीकरण और पेशेवर तत्परता सुनिश्चित की जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य फोकसः तीन एकीकृत स्तंभ

इकाई 1— व्यवहारिक मॉड्यूल

आत्म—जागरूकता, समाज और विविधता की समझ विकसित करना, जिसमें संचार कौशल, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता और नैतिक आचरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

- प्रश्नावली एवं आत्म—चिंतन के माध्यम से आत्म—जागरूकता
- प्रभावी मौखिक एवं गैर—मौखिक संचार
- गैर—आलोचनात्मक (नॉन—जजमेंटल) संचार
- संचार कौशल
- पुलिसिंग में लैंगिक एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता

इकाई 2—ऑपरेशनल सॉफ्ट स्किल्स

तनाव प्रबंधन, संघर्ष समाधान, निर्णय लेने, सोशल मीडिया प्रतिक्रिया और डिजिटल जागरूकता जेसे वास्तविक पुलिसिंग परिदृश्यों में सॉफ्ट स्किल्स का अनुप्रयोग।

- तनाव, संघर्ष, समय प्रबंधन एवं निर्णय क्षमता
- एआई (AI) जागरूकता एवं डेटा संरक्षण
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन
- सोशल मीडिया पर शिकायत निवारण एवं प्रतिक्रिया

इकाई 3—केसलेट्स

वास्तविक जीवन के मामलों के प्रदर्शन, रोल प्ले, चिंतन और फीडबैक के माध्यम से सीखना, जिससे अधिकारी सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में बदल सकें।

- समूह आधारित रोल प्ले एवं केस प्रदर्शन
- सीख के अनुप्रयोग पर निर्देशित विंतन
- संरचित प्रतिभागी फीडबैक

TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
SCHOOL OF SKILL EDUCATION
सक्षम पुलिसिंग
"सेवाभावी अनुशासन"
SAKSHAM
Skill-Based Capacity Building Programme
In Collaboration with

TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
SCHOOL OF SKILL EDUCATION
सक्षम पुलिसिंग

दिनांक 03.02.2026
प्रेस विज्ञप्ति 08/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 करोड़ रूपये कीमत की चोरी के हीरे–सोने के आभूषण**
- **चोरी के 45 हजार 100 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 03.02.2026 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छोटी रेलवे लाइन के पास से 05 अभियुक्तों 1–इरशाद उर्फ काला 2–दिलशाद व तीन अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ रूपये कीमत की चोरी के हीरे–सोने के आभूषण, चोरी के 45 हजार 100 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.01.2026 को थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरशाद उर्फ काला निवासी हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हालपता सैतान चौक कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड।

2–दिलशाद निवासी हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हालपता सैतान चौक कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड।

3–तीन अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 03 करोड़ रूपये कीमत की चोरी के हीरे–सोने के आभूषण।

2–चोरी के 45 हजार 100 रूपये नगद आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना चिनहट

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 02 लाख 66 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.02.2026 को थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राष्ट्रीय ग्राम उद्योग आश्रम इंटर कॉलेज मटियारी के पास से 02 अभियुक्तों 1–राहुल 2–रामू उर्फ करिया को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 02 लाख 66 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना चिनहट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चिनहट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी ग्राम जरहरा थाना इंदिरानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

2–रामू उर्फ करिया निवासी ग्राम बरईन पुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 02 लाख 66 हजार रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना नन्दग्राम

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा**
- **अवैध गांजा ब्रिकी के 59 लाख 16 हजार 180 रूपये नगद**
- **12 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 03.02.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 30 फुटा रोड नन्दग्राम से 04 अभियुक्तों 1–बृजराज 2–03 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा, अवैध गांजा ब्रिकी के 59 लाख 16 हजार 180 रूपये नगद, 12 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बृजराज निवासी गली नं0–01, तीस फुटा रोड थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद।

2–03 अभियुक्ता।

बरामदगी

1–04 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा।

2–अवैध गांजा ब्रिकी के 59 लाख 16 हजार 180 रूपये नगद।

3–12 मोबाइल फोन।

जनपद मेरठ/थाना लोहिया नगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 निर्मित अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 मैग्जीन**
- **99 अर्द्धनिर्मित मैग्जीन, 10 स्लाईड, 21 ट्रैगर**
- **06 हजार 500 रूपये नगद**
- **भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 02.02.0226 को थाना लोहियानगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला ताज गार्डन इरफान मलिक के गोदाम

फतेउल्लापुर रोड़ पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त 1—आमिर 2—रिहान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 निर्मित अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 मैग्जीन, 99 अर्द्धनिर्मित मैग्जीन, 10 स्लाईड, 21 ट्रैगर, 06 हजार 500 रूपये नगद, भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना लोहियानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आमिर निवासी नूरवाली गली थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

2—रिहान निवासी डी ब्लाक समर कालोनी थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—07 निर्मित अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 मैग्जीन।

2—99 अर्द्धनिर्मित मैग्जीन, 10 स्लाईड, 21 ट्रैगर।

3—06 हजार 500 रूपये नगद।

4—भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद औरैया/थाना अजीतमल

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 41 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 किलो 210 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 03.02.2026 को थाना अजीतमल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त दामोदर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 41 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 किलो 210 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अजीतमल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दामोदर प्रसाद निवासी दौकेली थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—लगभग 41 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 किलो 210 ग्राम अवैध चरस।

- **जनपद बलरामपुर/थाना पचपेड़वा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलरामपुर द्वारा थाना पचपेड़वा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—तिर्रू 2—रिक्खीराम 3—नधई 4—चिकवा को आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बलिया/थाना बैरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 21—21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बैरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—विरेन्द्र 2—रवि को आजीवन कारावास व 21—21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना शिकारपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 44 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना शिकारपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)च/323/506 भादवि व 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 44 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना गंगाघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना गंगाघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————